

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 अगस्त 2015—भाद्र 2, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2015

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 18 मई, 2015 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 18 मई, 2015 में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं प्रकाशित की गई हैं, अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 377 सेवा क्रमांक 2.17 के कॉलम (2) में वर्णित सेवाएं में उल्लेखित "मोटर" के स्थान पर "भवन" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.